न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

अपील सं. 05/2025 दर्ज दिनांक—16.04.2025

जीएमएस नं. —2025/176

महावीर पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी खोजास तहसील नवलगढ़, जिला—झुझुंनू

—अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बसावा पंचायत समिति नवलगढ
2. पार्वती देवी पत्नी स्व. महावीर
3. शारदा पुत्री महावीर
4. सरिता पुत्री महावीर
5. सहीराम पुत्र महावीर जाति जाट निवासी खोजास तहसील नवलगढ़, जिला—झुझुंनू
6. भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ
7. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़,जिला— झुझुंनू

—रेस्पोडेन्ट

वकील अपीलार्थी : — श्री महेश कुमार नारनोलिया, सुश्री पिंकी सैनी
रेस्पोडेन्ट 1,2,5,6 :— स्वंय उपस्थित
रेस्पोडेन्ट सं. 3,4, :— अनुपस्थित

अपील विरूद्व नामान्तकरण विरासत सं. 775 दिनांक 03/06/2022 ग्राम पंचायत बसावा, पंचायत समिति नवलगढ, जिला झुझंनू

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 16.05.2025

आवेदक द्वारा अपील प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि, ग्राम पंचायत बसावा द्वारा दिनांक 03.06.2022 को एक नामान्तरण सं. 775 अनावेदकगण सं. 1 के द्वारा तस्दीक किया गया है। जिसका ज्ञान अपीलार्थी को पूर्व में नही था। ग्राम खोजास बसावा में दोनो खातेदारी कास्तकारों के नाम महावीर एक ही होने से दो नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

तस्दीक हो गये। प्रा. पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधि. का प्रा. पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, अपील मियाद में मानी जावे तथा नामान्तकरण सं. 775 दिनांक 03.06.2022 (खाता सं. नया 87 पुराना 82 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 163, 164 मे स्वीकृत) निरस्त किया जावे।

इस प्रकार से अपील प्राप्त होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर कि गई तथा तलबी रेस्पोडेन्ट जारी की गई । रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,5 स्वंय उपस्थित हो अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने मे सहमति व्यक्त की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 3,4 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट सं. 6 की और से पैरो. राज. उपस्थित हो किसी प्रकार का उजर/एतराज व्यक्त नही किया गया।

बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दलीलो से यह जाहिर है कि, ग्राम पंचायत बसावा द्वारा दिनांक 03.06.2022 को भरा गया नामान्तरण सं. 775 ऋुटीपूर्ण है तथा विधिनुकुल नही है। जिसे रेस्पोडेन्ट सं. 1 ,2, 5 द्वारा भी स्वीकार किया है।

आदेश

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रस्तुत अपील न्यायोचित होने से स्वीकार की जाकर, नामान्तरण सं. 775 दिनांक 03.06.2022 (ग्राम खोजास के खाता सं. नया 87 पुराना 82 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 163, 164 मे नामान्तकरण) ग्राम पंचायत बसावा द्वारा किया गया आदेश अपास्त/निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को तद्नुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़,जिला–झुंझुनू